

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616] No. 616] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 2016/फाल्गुन 21, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 2016/PHALGUNA 21, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2016

का.आ. 1056 (अ) -&िनम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पिठत उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है,; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

मणिपुर राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 55/13/97 तारीख 22.09.1997 द्वारा मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में जीरी-माकरु वन्यजीव अभयारण्य के उसकी पारिस्थितिक, प्राणी, वनस्पित, आकृति-मूलक, प्राकृतिक और पारिस्थितिक महत्ता तथा उसके वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण, बढ़ावा देने और विकास के लिए एक आशय अधिसूचना जारी की थी। वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र 198.0 वर्ग किलोमीटर है;

1224 GI/2016 (1)

और, जीरी-माकरु वन्यजीव अभयारण्य जीरी नदी और माकरु नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अकृष्टपूर्व वनों का संभरण करता है, विविध वनस्पति और जीव-जन्तु विविधता दल जिसमें गिब्बन, लंगूर, स्पॉटेड लिनसेन, रीछ, सांभर, तेंदुआ, सियार, साल, बनैला सूअर, भारतीय कस्तूरा बिल्ली, अजगर, लमचीता, लजीला वानर, बाघ के ऋतु प्रवसन और हाथी आदि सम्मिलित है;

और, जीरी-माकरु वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मणिपुर राज्य में जीरी-माकरु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 9.5 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को जीरी-माकरु वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार जीरी-माकरु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 9.5 किलोमीटर तक है सिवाय उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी तरफ, जहाँ अभयारण्य की सीमा क्रमशः नागालैंड और असम राज्यों के साथ साझी है। पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 256 वर्ग किलोमीटर है और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध। पर दिया गया है।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र उसके दूरस्थ अक्षांश और देशांतर के साथ तथा उसका विस्तार इस अधिसूचना के साथ **उपाबंध ॥** के रूप में उपाबद्ध है ।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांक **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।
- (3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्घ विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन ;
 - (iii) शहरी विकास ;
 - (iv) पर्यटन ;
 - (v) नगरपालिका;
 - (vi) राजस्व ;

- (vii) कृषि; और
- (viii) मणिपुर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।
- 3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--
- (1) भू-उपयोग पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 26, 32 और सं. 37 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात्:-

- (i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (ii) वर्षा जल संचय; और
- (iii) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर सम्मिलित हैं :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी। परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) प्राकृतिक जल स्नोतों -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्नोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सिम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- (3) **पर्यटन** (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।
- (ii) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
- (iii) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
 - (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे :
- (ग) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।
- (4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

- (8) **बिहस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बिहस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
 - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
 - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
 - (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) **यानीय परिवहन** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (12) औद्योगिक इकाईयां (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (ख) जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
	प्रतिषि	द्ध क्रियाकलाप
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान,	(क) सभी नए और विद्यामान खनन (लघु और वृहत
	उनको तोड़ने की इकाइयां ।	खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां
		वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं
		जिसमें निजी उपयोग के लिए के लिए मकानों के संनिर्माण
		या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के
		लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित
		है, के सिवाय नहीं होंगी ;
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट
		याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन
		थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश
		तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012
		का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में
		तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में
		सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा
(0)		मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं
	स्थापना ।	होगा ।
(4)		
	स्थापना।	वाणिज्यिक स्थापना जैसे होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं
		होंगे।
(5)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के
(6)	उपयोग । नई बृहत जल विद्युत परियोजना और	सिवाय) । लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के
(0)	ा । त्र बृहत जल । पञ्चत पारयाजना जार सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	सिवाय)।
(7)	पर्यटन से संबंधित रज्ज्मार्गों के भांति	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के
, ,	क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों	सिवाय) ।
	आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से	
(0)	उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	
(8)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के
	में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस	सिवाय) ।
(10)	अपशिष्टों का निस्सारण । भूमि के उपयोग के पैटर्न में प्रबल	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के
(10)	मूाम क उपयाग क पटन म प्रबल बदलाव	लागू ।वाधया क अनुसार प्राताषद्ध (अन्यया उपबाधत क सिवाय) ।
	1 1 1 1 1	131111/1

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

(11) तेल, प्राकृतिक गैस, जैविक ईंधन के		,
	परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलान	सिवाय)।
	1	
(12)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के
	उपयोग या उत्पादन ।	सिवाय) ।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलापों ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थानीय निवासियों की घरेलू
, ,		आवश्यकताएं, जिसके अंतर्गत मद संख्या 32 और 37 में
		सूचीबद्घ क्रियाकलाप भी हैं, के सिवाय किसी भी प्रकार के
		नए संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । मद 26 पर
		सूचीबद्ध क्रियाकलापों की दशा में संनिर्माण क्रियाकलापों
		का विनियमन किया जाएगा और उन्हें न्यूनतम स्तर पर
		रखा जाएगा।
	। विनिया	मेत क्रियाकलाप
(14)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के
(14)	पूर्वा का कटाई ।	बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों
		में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।
		111 61 541 11 11315 161 61 111
		(-) -2 ÷ -2
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम
		या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार
		विनियमित होगी ।
(4.5)		
(15)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत
	अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल)
		अनुज्ञात होगा ;
		(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और
		भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक
		प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके
		अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी
		सम्मिलित है ;
		(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ;
		(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है,
(40)		को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(16)	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(17)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(18)	होटलों और लॉज के विद्यमान	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	परिसरों में बाड़ लगाना ।	
(19)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय
	और उन्हें सुदृढ करना तथा नई	यथा लागू अनुसार होंगे ।
	सड़कों, रेल पटरी का संनिर्माण ।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

(20)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।	
(21)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
(22)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	•1	
(23)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
(24)	वायु (जिसमें ध्वनि भी सम्मिलित है) और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
(25)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्नाव के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।	
(26)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।	
(27)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।		
(28)	सुरक्षा बलों के कैंप ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
(29)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिशत आयातित	
(2.2)		काष्ठ का उपयोग होगा।	
(30)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
	संवर्धि	त क्रियाकलाप	
(31)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला डेयरी उद्योग और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
(32)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।	
(33)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।	
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।	
(35)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा।	

(36)	वानस्पतिक बाड़ ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(37)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
	ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	

- 5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-
 - (क) संबंधित जिला आयुक्त अध्यक्ष;
 - (ख) क्षेत्र का ज्येष्ठ योजनाकार सदस्य ;
 - (ग) ज्येष्ठ पर्यावरण इंजीनियर, मणिपुर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इम्फाल सदस्य ;
 - (घ) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अविध के लिए मणिपुर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि सदस्य ;
 - (ङ) मणिपुर सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ- सदस्य ;
 - (च) प्रभागीय वन अधिकारी, ताइमनगलोंग सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन

- (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सिम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी सिमित द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

- (5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

उपाबंध I

जीरी-माकरु वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा वर्णन

उत्तर: उत्तरी सीमा के स्टेशन सं. 1 से आरंभ होकर जहाँ जीरी नदी नागालैण्ड राज्य सीमा को पार करती है, इसके बाद राज्य सीमा से स्टेशन सं. 2 (2080 मी) को पार करके पूर्व की ओर जाकर स्टेशन सं. 3 के ऊपर जहाँ नागालैण्ड राज्य सीमा निन्गजम पर्वत श्रेणी को पार करती है, इसके बाद स्टेशन सं. 4 (किचा-चोटी) पर पर्वत श्रेणी की ओर जाती है, इसके बाद नई खुन्फुंग ग्राम (स्टेशन सं. 5) पर हेलाई-की धारा की ओर जाती है जहाँ हेलाई-की नदी मगुईकी नदी से मिलती है, इसके बाद स्टेशन सं. 6 पर मगुईकी धारा की ओर जाती है जहाँ मगुईकी धारा बराक नदी से निकलती है।


पूर्व: स्टेशन सं. 6 से जहाँ मगुईकी धारा बराक नदी से निकलती है, रेखा बराक नदी के साथ दक्षिण दिशा की ओर स्टेशन सं. 7 (बन्निग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का अंतिम बिंदु) से होते हुए जाती है स्टेशन सं. 8 पर जहाँ डोउडोंग-पैंग धारा बराक नदी से मिलती है। स्टेशन सं. 6 से स्टेशन सं. 7 तक जीरी नदी का भाग है और जीरी माकरु वन्यजीव अभयारण्य और बन्निग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सामान्य सीमा का रुप बनाती है।

दक्षिण: स्टेशन सं. 8 से आरंभ होकर, रेखा पर्वत श्रेणी के साथ पश्चिम की ओर स्टेशन सं. 9 (सरमबा ग्राम) पर जाती है, इसके बाद मनडु ग्राम की अंतर ग्राम सड़क (आई वी आर) की ओर स्टेशन सं. 10 से होते हुए जहाँ एलम धारा आई वी आर को पार करती है, इसके बाद आई वी आर की ओर जाती है, रेखा स्टेशन सं. 11 से होते हुए और इसके बाद माकरु नदी पर स्टेशन सं. 12 जहाँ सिंगियु धारा माकरु नदी से मिलती है, इसके बाद सिंगियु धारा स्टेशन सं. 13 पर जाती है, इसके बाद मनडु ग्राम (स्टेशन सं. 14) के आई वी आर की पर्वत श्रेणी के साथ, इसके बाद आई वी आर के साथ यह जीरी नदी की स्टेशन सं. 15 पहुँचती है। स्टेशन सं. 8 से स्टेशन सं. 12 तक जीरी माकरु वन्यजीव अभयारण्य और जिलाद वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सामान्य सीमा है।

पश्चिम: स्टेशन सं. 15 से जहाँ आई वी आर से मनडु ग्राम जीरी नदी को पार करती है, रेखा जीरी नदी के साथ स्टेशन सं. 16 से होते हुए जाती है जो जीरी-माकरु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के दक्षिण पश्चिम कोन है यह स्टेशन सं. 1 पहुँचती है जो जीरी माकरु वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का आरंभिक बिंदु है।

<u>उपाबंध II</u>

जीरी-माकरु वन्यजीव अभयारण्य, मणिपुर की वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का इसके अधिकतम और विस्तार के अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र



उ<mark>पाबंध</mark> III जीरी-माकरु वन्यजीव अभयारण्य, मणिपुर के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची ।

क्र. सं.	नाम	अक्षांश	देशांतर
1	अज़ुईराम	25 ° 1' 44.540" उ	93° 25' 8.664" पू
2	इमपा	25° 11' 10.657" उ	93° 31' 20.159" पू
3	इनेम	25° 11' 7.195" उ	93° 29' 26.933" पू
4	कतान्ग	25° 11' 10.502" उ	93° 34' 3.197" पू
5	मगुलोंग	25° 13' 18.016" उ	93° 33' 6.273" पू
6	मनडु	25° 3' 40.570" उ	93° 20' 23.175" पू
7	नमतीराम	25° 3' 43.789" उ	93° 25' 54.667" पू
8	निनगजम	25° 7' 57.547" उ	93° 27' 35.285" पू
9	फेल्लोंग	25 ° 5' 40.171" उ	93° 26' 52.288" पू
10	सरमबा	25° 0' 52.214" उ	93° 24' 53.683" पू
11	तौसेम	25° 6' 1.421" उ	93° 22' 29.505" पू
12	तौसेमखुल्लेन	25 ° 6' 56.067 " उ	93° 22' 46.109" पू

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तिथि।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
- 5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- 6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

[फा. सं. 25/2/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE Notification

New Delhi, 10^{th} 2016

S.O. 1056 (E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Ali Ganj, New Delhi-110 003, or at e-mail address esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the State Government of Manipur had issued intent notification for declaration of Jiri-Makru Wildlife Sanctuary in Tamenglong District of Manipur vide notification No. 55/13/97- for Dt. 22/9/1997 for the reasons of its adequate ecological, faunal, floral, geo-morphological, natural and ecological significance and for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment. The area of Wildlife Sanctuary is 198.0 square kilometres;

And whereas, Jiri - Makru Wildlife Sanctuary supports virgin forests in the catchment areas of Jiri River and Makru River hosting varied floral and faunal diversity including Hoolock gibbon, Langurs, Spotted linsang, Bears, Sambar, Leopard, Jackal, Pangolin, Wild boars, Large Indian civet cat, Pythons, Clouded leopard, Slow Loris, seasonal migration of tiger and elephants etc;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent upto 9.5 kilometer from the boundary of the Jiri-Makru Wildlife Sanctuary in the State of Manipur as the Eco-sensitive Zone (hereinafter called as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

- 1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**—(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies upto 9.5 kilometres from the boundary of the Jiri- Makru Wildlife Sanctuary except on the North-Eastern and North-Western sides where the sanctuary shares boundary with States of Nagaland and Assam respectively. The area of Eco-sensitive Zone is 256 square kilometres and the boundary description of the Eco-sensitive Zone is given in **Annexure I**.
- (2) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as **Annexure II**.
- (2) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with coordinates of the prominent points is appended as **Annexure III.**
- **2.Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The said plan shall be approved by the competent authority in the State Government.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in constitution with all concerned State Departments for integrating environmental and ecological considerations into it, namely:-
- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture,
- (viii) Manipur State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development and livelihood security of local communities.
- 3. **Measures to be taken by State Government.**—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 26, 32 and 37 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Small scale industries not causing pollution,
- (ii) Rainwater harvesting, and
- (iii) Cottage industries including village artisans etc.:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner to prohibit development activities at or near these areas which
- (3) **Tourism.-**(i)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (ii) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Manipur in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Manipur.

- (iii) The activity of tourism shall be regulated as under, namely.- (a) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (b) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone;
- (c) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and proper plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) **Air pollution.-**—The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.
- (9) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under.-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000; as amended from time to time;
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
 - (v) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time;
- (11) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (12) **Industrial units.** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.
- (b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.
- **4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.** —All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and shall be regulated in the manner specified in the table below, namely: —

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks			
Prohibite	Prohibited activities				
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance to the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N.GodavarmanThirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.			
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.			
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.			
4.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new or expansion of existing commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.			
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.			
6.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.			
7.	Undertaking activities related to tourism like rope ways, over-flying the sanctuary area by hotair balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.			
8.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.			
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.			
10.	Drastic change of land use pattern.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.			
11.	Underground pipelines for transport of oil, natural gases, bio-fuel	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.			
12.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.			
13.	Construction activities.	No new construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed at item numbers 32 and 37. In the case of activities listed at item number 26, the construction activity shall be regulated and kept at the minimum.			
	Regulated a	activities			

		T
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior
		permission of the competent authority in the State
		Government.
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State
		Act and the rules made there under.
15.	Commercial water resources including ground	(a)The extraction of surface water and ground water
	water harvesting.	shall be allowed only for bona fide agricultural use and
		domestic consumption of the occupier of the land.
		(b) The extraction of surface water and ground water for
		industrial or commercial use including the amount that
		can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority.
		(c) No sale of surface water or ground water shall be
		permitted.
		(d) Steps shall be taken to prevent contamination or
		pollution of water from any source including agriculture.
16.	Drastic change of agriculture system	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical cables and	Promote underground cabling.
	telecommunication towers.	
18.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
19.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact
	and construction of new roads, rail tract	Assessment and mitigation measures, as applicable
20.	Movement of vehicular traffic at night.	For commercial purpose.
21.	Introduction of exotic species.	-
22.	Protection of hill slopes and river banks.	-
23.	Commercial sign boards and hoardings.	-
24. 25.	Air (including noise) and vehicular pollution. Discharge of treated effluents in natural water	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for
23.	bodies or land area.	disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
26.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service
		industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-
		based industry producing products from indigenous
		goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause
25		any adverse impact on environment.
27.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
28.	Security Forces Camp.	-
29.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be
		permitted within the limits of Eco-sensitive Zone.
		Provided that new wood based industry may be set up
20	E of Circuit and Circuit	in the Eco-sensitive using 100% imported wood stock.
30.	Eco-friendly cottages for temporary occupation	Regulated under applicable laws.
	of tourists such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities.	
	cco-menary tourism activities.	1
Permitt	ed activities	
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by	Regulated under applicable laws.
	local communities along with dairies, dairy	
22	farming and fisheries.	
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35. 36.	Use of renewable energy sources. Vegetative fencing.	Bio gas, solar light,etc. shall be promoted.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Bio gas, solar light,etc. shall be promoted.
51.	Comage moustres including village artisans, etc.	Dio gas, soiai fight, cic. shan be promoted.

- 5. **Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-** The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-
- (i) The concerned Deputy Collector Chairman
- (ii) Senior Town Planner of the area Member;
- (iii) Senior Environment Engineer, Manipur State Pollution Control Board, Imphal- Member;
- (iv) A representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Manipur for a term of one year Member;
- (v) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Manipur for a term of one year Member;
- (vi) Divisional Forest Officer Taemnglong– Member-Secretary.

6. Terms of Reference.-

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Ecosensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Ecosensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Conservator of Forests or Park and Sanctuary shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State per proforma appended at **Annexure IV**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of the notification.
- 8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No. 25/2/2015-ESZ/RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Limits and boundaries of the proposed Eco-sensitive Zone of Jiri-Makru Wildlife Sanctuary


North: The northern boundary starts from Station No.1 where the Jiri river crosses Nagaland State boundary, then following the State boundary towards east crossing Station No. 2 (2080 M) upto Station No. 3 where the Nagaland State boundary crosses Ningjam hill range, then following the hill range upto Station No.4 (Kicha-peak), then following the Helai-ki stream upto new Khunphung village (Station No.5) where Helai-ki river meets with Maguiki river, then following the Maguiki stream upto Station No.6 where the Maguiki stream discharges to Barak River.

East: From Station No.6 where the Maguiki stream discharges to Barak River, the line runs southerly direction along the Barak River passing through Station No. 7(end point of the Eco-sensitive zone of Bunning Wildlife Sanctuary) upto Station No. 8 where the Doudong-Pang stream meets the Barak River. From Station No. 6 to Station No. 7 is a portion of Jiri River and forms the common boundary of eco-sensitive zones of Jiri Maku Wildlife Sanctuary and Bunning Wildlife Sanctuary.

South: Starting from Station No.8, the line runs towards westerly direction along the hill ridge upto Station No.9 (Saramba village), then following the Inter Village Road (IVR) to Mandu village passing though Station No. 10 where the IVR crosses the Alum stream, then following the IVR, the line passes through Station No.11 and then Station No.12 on Makru River where Singiu stream meets Makru River, then following the Singiu stream upto Station No.13, then along the IVR on hill ridge uptoMandu village (Station No.14), then along the IVR till it reaches the Jiri River at Station No.15. From Station No. 8 to Station No.12 is the common boundary of eco-sensitive zones of Jiri Maku Wildlife Sanctuary and Zeilad Wildlife Sanctuary.

West: From the Station No.15 where the IVR from Mandu village crosses the Jiri River, the line runs along the Jiri River passing though Station No.16 which is the south-west corner of the boundary of Jiri-Makru Wildlife Sanctuary till it reaches Station No.1 which is the starting point of Jiri-Makru Wildlife Sanctuary Eco-sensitive zone.

ANNEXURE II Map of Eco-sensitive Zone boundary of Jiri-Makru Wildlife Sanctuary, Manipurtogether with its latitudes and longitude of extremes and extent.



NNEXURE III Village falling within the Proposed Eco-Sensitive Zone of Jiri-Makru Wildlife Sanctuary, Manipur.

Sl.	Name	Latitude	Longitude
NO			
1	Azuiram	25° 1' 44.540" N	93° 25' 8.664" E
2	Impa	25° 11' 10.657" N	93° 31' 20.159" E
3	Inem	25° 11' 7.195" N	93° 29' 26.933" E
4	Katang	25° 11' 10.502" N	93° 34' 3.197" E
5	Magulong	25° 13' 18.016" N	93° 33' 6.273" E
6	Mandu	25° 3' 40.570" N	93° 20' 23.175" E
7	Namtiram	25° 3' 43.789" N	93° 25' 54.667" E
8	Ningjam	25° 7' 57.547" N	93° 27' 35.285" E
9	Phellong	25° 5' 40.171" N	93° 26' 52.288" E
10	Saramba	25° 0' 52.214" N	93° 24' 53.683" E
11	TOUSEM	25° 6′ 1.421" N	93° 22' 29.505" E
12	Tousemkhullen	25° 6' 56.067" N	93° 22' 46.109" E

ANNEXURE IV

Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
- 6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment notification,2006. [Details may be attached as separate Annexure]
- 7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.